देश में वर्तमान खेल संचालन रूपरेखा और खेलू शासन से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए समिति

Posted On: 05 JAN 2017 7:14PM by PIB Delhi

सरकार ने देश में मौजूदा खेल संचालन रूपरेखा और खेल शासन से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए एक समिति के गठन का फैसला किया है। इन मुद्दों में हाल ही में खेल शासन से संबंधित विकास, न्यायालय के फैसले और सुर्वीत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणालियों के अलावा खेल प्रतिस्पर्धाओं में एक व्यापक राष्ट्रीय खेल विकास संहिता लाने पर सिफारिश करना शामिल है।

समिति की रूपरेखा इस प्रकार है:

| i. | श्री इंजेति श्रीनिवास, सचिव (खेल) | अध्यक्ष |
|-------|--|------------|
| ii. | श्री अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक खिलाड़ी | सदस्य |
| iii. | श्रीमती अंजू बॉबी जॉर्ज, ओलंपिक खिलाड़ी | सदस्य |
| iv. | श्री प्रकाश पादुकोण, प्रस्थात सिलाड़ी और प्रशिक्षक | सदस्य |
| v. | श्री नरिंदर बत्रा, अध्यक्ष एफआईएच | सदस्य |
| vi. | श्री नंदन कामथ, अधिवक्ता | सदस्य |
| vii. | श्री विश्वेश्वर नंदी, प्रशिक्षक | सदस्य |
| viii. | श्री विजय लोकपल्ली, खेल पत्रकार | सदस्य |
| ix. | संयुक्त सचिव (खेल), एमवाईएएस | सदस्य सचिव |

देश में खेल प्रशासन में बेहतर शासन से संबंधित मुद्दों की पहचान और राष्ट्रीय ओलंपिक सिमिति एवं राष्ट्रीय खेल संघों से संबंधित शासन के मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक खेल संहिता लाने हेतु विशेष सिफारिशों के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली आईओसी चार्टर के आधार पर नैतिकता और अच्छे प्रशासन के मूल सार्वभौमिक सिद्धांतों की पहचान, राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मसौदा, राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय सिमित के विचारार्थ हैं। सिमिति को अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वीके/एसएस/एसकेपी-36

(Release ID: 1480054) Visitor Counter: 11





